

फार्म नं० 111  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत भू अभिलेख अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), आबूरोड

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 श्रीमती जमना पत्नि अम्बा लाल जाति गुरु ब्राम्हण निवासी आबूरोड व अन्य		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ५५ / 2025

तारीख	हुकम या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
31/10/25	<p>यहकि राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया है। अतः उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र का पंजीयन किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 18/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)</p>	857
18/11/25	<p>पत्रावली पेश जिला की तामिली प्रार्थना तहसीलदार जिला के कार्यालय पत्र दिनांक 14-11-25 का रिपोर्ट प्राप्त। उक्त रिपोर्ट पर कदम ली जा रही है। का दिनांक 18/11/25 को जुद्ध के अन्तर्गत नोटिस दिए पत्रावली के अन्तर्गत नंबर 604, 605, 606 जमीन संख्या एक एवं नंबर 608, 609, 610 जमीन संख्या का ही प्रार्थना पत्र की पत्रावली का कथन प्राप्त। तहसीलदार आबूरोड की पत्रावली पत्र दिनांक 14-11-25 - अज्ञात</p>	

द्वारा निर्धारित कर मौज हुई के अनुसार  
नंबर 604, 605, 606 (किसा 03 का सीमाशासन  
दिनांक 12/06/2025 को किया जाने का  
कचरा किया एवं खसरा संख्या 608, 609,  
610 का सीमाशासन नहीं किया जाने का  
कचरा किया

मौज के अनुसार पर मजबूत किया एवं  
पञ्चायती का विकसित किया गया है  
पर मजबूत एवं पञ्चायती के विकसित के बिना  
मौज हुई पर खसरा संख्या 604, 605, 606 का सीमाशासन

नहीं किया गया है दिनांक 12/06/2025  
को किया जाने का खसरा संख्या 608, 609, 610  
का खसरा संख्या के बिना किया जाने का

खसरा नंबर 608, 609, 610 का  
सीमाशासन नहीं करने के जारी है  
खसरा संख्या का सीमाशासन किया कर

नियमानुसार खसरा संख्या के कार्रवाई करने के  
लिए निर्देश दिए जाने के लिए सीमाशासन  
उपरोक्तानुसार किया है पञ्चायती पुनर्निश्चित

करने  
पञ्चायती के अनुसार खसरा संख्या  
नंबर के अनुसार

सहायक कलेक्टर  
आबूरोड (सिरोही)